तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
31.10.2019	रामपाल बनाम् गोविन्दराम वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 171/2015 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकारण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर' 127 से 129, 130/1, 131/1, 132/1, 132/2701, 133, 137 से 140, 141/1, 571 कुल किता 14 कुल रकबा 2.91 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में भाई हैजो सजरा खानदान से स्पष्ट है। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य होकर मृत्तक चुन्नीलाल के वारिस है । जिनका विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा अपने 1/4 हिस्से को पक्षकार ने अर्सा कदीमी समय से मौके पर विभाजन करके अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें चुन्नीलाल के चारों लड़को ने अपने 1/4 हिस्से का स्वेच्छा से मिल बैठकर मौके पर विभाजित कर रखा है। इस प्रकार प्रत्येक हिस्सेदार का 1/4 हिस्सा होकर अलग–अलग 1/16, 1/16 हिस्सा है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी का 1/16 हिस्सा होकर उसी पर वादी मौके पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि के 1/4 हिस्से पर पक्षकारान् मुकदमा वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 के पूर्वज चुन्नीलाल प्रथम सैटलमेन्ट के पहले से ही मौके पर शामलाती रूप से काबिज, काश्त है परन्तु प्रथम सैटलमेन्ट के समय प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता मृत्तक नारायण का परिवार में बड़ा व परिवार का मुखिया तथा कर्त्ता खानदान होने से भूमि की खातेदारी गलत रूप से अकेले नारायण के नाम दर्ज हो गई। जबकि विवादित भूमि के वादी व प्रतिवादी के शामलाती 1/4 हिस्से में अकेले नारायण का कभी भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। केवल बड़ा व कर्त्ता खानदान होने से ही नारायण को गांव समाज में मुखिया होने से अकेले नारायण के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता व	

Scanned by CamScanner

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

.................................रामपाल बनाम् गोविन्दसम वगै0.................................

दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

किस्म मुकदमा .... मुकदमा नं. 171/2015 नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	ना... अ... हुक्म...

दादा के जीवनकाल में आपस में परिवार में सामन्जस्य रहने से वादी को विवादित भूमि के खातेदारी अकेले मृत्तक नारायण के नाम दर्ज होने की जानकारी नही हो सकी परन्तु नारायण की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम विरासत की खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही करने से सर्वप्रथम वादी को विवादित भूमि में स्वंय के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने की जानकारी होते ही वादीगण ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम 1/16 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने हेतु गए तो पटवारी ने माननीय न्यायालय में वाद पेश करने हेतु बताने पर वाद कारण दर्ज होने पर दावा करने लाजिम आया। वकील वादी ने उक्तानुसार वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये [illegible] हेतु निवेदन वादी ने वादपत्र में किया है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1, 2/1 से 2/10, 3, 4, 5/1 लगायत 5/7, 9 लगायत 16, 17/1 ता 17/11, 18 ता 20 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी को 1/16 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति, ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है। प्रतिवादी नं. 6 के द्वारा बावजूद अवसरों के भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब देही बन्द की गई है एंव शेष प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। साक्ष्य वादी में वादी रामपाल व वादी गवाह में बुलेश सैनी का शपथ पत्र पेश हो चुके है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 एक ही परिवार के

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

रामपाल बनाम् गोविन्दराम वगै0
दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 171/2015

सदस्य होकर मृत्तक चुन्नीलाल के वारिस है। जिनका विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा अपने 1/4 हिस्से को पक्षकार ने अलग कदीमी समय से मौके पर विभाजन करके अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें चुन्नीलाल के चारों लड़को ने अपने 1/4 हिस्से का स्वेच्छा से मिल बैठकर मौके पर विभाजित कर रखा है। इस प्रकार प्रत्येक हिस्सेदार का 1/4 हिस्सा होकर अलग–अलग 1/16, 1/16 हिस्सा होना प्रकट होता है। विवादित भूमि के 1/4 हिस्से पर पक्षकारान् मुकदमा वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 के पूर्वज चुन्नीलाल प्रथम सैटलमेन्ट के पहले से ही मौके पर शामलाती रूप से काबिज काश्त होना अवगत कराया है परन्तु वकील वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि पेश नहीं किया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज चूना का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023, 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032 से 2035, 2042, 2046 से 2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065, 2066 से 2069, 2070 से 2073 में भी नारायण पुत्र चूना का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। किसी भी जमाबन्दी दस्तावेजात् में नारायण के पिता चूना के नाम राजस्व रिकार्ड अंकित होना प्रकट नहीं होता है तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश हुआ कि चूना के स्थान पर कर्त्ता खानदान बड़ा पुत्र नारायण अकेले के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में आई हो। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रथम सैटलमेन्ट के समय से ही उक्त भूमि चूना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही हों। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता मृत्तक नारायण का परिवार में बड़ा व परिवार का मुखिया तथा कर्त्ता खानदान होने मात्र से किसी कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार परिवार के अन्य किसी दीगर व्यक्ति को कानूनन सृजित नहीं किये जा सकते। इस प्रकार उक्त वादपत्र में अंकित भूमि के पैत्रृक भूमि सिद्ध करने में वकील वादी पूर्णतया असफल रहा है। वादग्रस्त भूमि के पैत्रृक भूमि सिद्ध नहीं होने से वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

..... बनाम .....

रामपाल बनाम् गोविन्दराम वगै0

किस्म मुकदमा .....दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा.....

मुकदमा नं. 171/2015

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner